मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

राजा भोज मार्ग, कोलार रोड़ भोपाल–462016

फोन–0755–2492096

क्रमांक 538 /मप्रभोमुविवि/प्रमू/2017 भोपाल, दिनांक 14/02/17

सूचना

डी. एल. एड. (ओ.डी. एल.) सत्र 2016–18

प्रवेश काउन्सलिंग संबंधी सूचना

डी. एल. एड. (ओ. डी. एल.) की 500 सीट्स पर प्रवेश हेतु प्रथम काउन्सलिंग उपरांत शेष 179 सीटों पर सभी अभ्यर्थी दिनांक 22/2/2017 को प्रवेश हेतु म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय मुख्यालय भोपाल में उपस्थित हों।

वर्गवार एवं उपवर्ग प्रथम प्रतीक्षा सूची संलग्न ।

नोटः– वि.वि. की बेवसाइट पर दर्शित 179 चयनित अभ्यार्थियों की सूची में जिनके नाम हैं, उन सभी को पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं। पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में अग्रलिखित दस्तावेजों के साथ उपरोक्तानुसार तिथि पर प्रातः 11.00 बजे मुख्यालय पर उपस्थित होकर प्रवेश लिया जा सकता है सम्पूर्ण 500 सीटें भरने तक निरन्तर काउन्सलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।

निरन्तर.......

कृपया अपने साथ एम. पी. ऑनलाईन कियास्क के माध्यम से किये गये आवेदन फार्म की **तीन प्रतियाँ** एवं पासपोर्ट साईज के **तीन नवीन फोटो** आवश्यक रूप से लावें ।

1. एम. पी. ऑनलाईन कियास्क के माध्यम से किये गये आवेदन फार्म में की गई प्रविष्टियों के सभी साक्ष्य-हाईस्कूल,हायर सेकेण्डरी स्कूल सार्टिफिकेट यदि उपलब्ध हो तो स्नातक, स्नातकोत्तर परीक्षा की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित वर्ग का हो तो) सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित) **तीन-तीन सत्यापित प्रतियाँ एवं मूलप्रति** अनिवार्य रूप से लावें।
2. हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय विद्यालय में पढाने का कम से कम दो वर्ष का शैक्षिक अनुभव एवं वर्तमान में **निरंतर** कार्यरत व **नियमित** शिक्षक होने का प्रमाण पत्र जो कि बी.ई.ओ. अथवा डी.ई.ओ. अथवा संकुल प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों। केन्द्रीय विद्यालय/सी.बी.एस.ई. में कार्यरत शिक्षक के लिये प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र मूलतः स्वीकार किया जायेगा ।
3. पात्र उम्मीदवार को पंजीयन **शुल्क रूपये 16000/-(सोलह हजार मात्र) किसी भी बैंक,** द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट **'कुलसचिव'मध्यप्रदेश भोज (मुक्त)विश्वविद्यालय भोपाल के नाम जमा करना होगा।** शुल्क के अभाव में आपका प्रवेश नहीं हो सकेगा । प्रवेश उपरांत शुल्क वापसी योग्य नही है।
4. प्रमाण पत्रों तथा आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा प्रवेश हेतु पात्रता में कमी पाये जाने पर आपका प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिये आप स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।
5. संबंधित अध्ययन केन्द्र में आपको वर्ष 2016-18 के कार्यक्रम से संबंधित वार्षिक शैक्षिक गतिविधियॉं, इन्डक्शन प्रोग्राम, सम्पर्क कार्यक्रम एवं सत्रांत परीक्षा आदि के बारे में जानकारी दी जायेगी । आपका दायित्व होगा कि आप अध्ययन केन्द्र से उपरोक्त समस्त जानकारी स्वयंप्राप्त कर शैक्षिक कार्यक्रम में समय पर उपस्थित होकर पाठ्यक्रम निर्देशानुसार पूर्ण करें।
6. **काउन्सलर द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत आपको रू. 500/- का किसी भी बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट कुलसचिव मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल के नाम जमा करना होगा, रसीद वि.वि. के रिसेप्शन काउन्टर पर प्रस्तुत करनी होगी एवं वहाँ से प्रवेश मार्गदर्शिका में प्राप्त फार्म की तीन प्रति भरकर काउन्सलर के पास जमा करनी होगी।**

आदेशानुसार

13/2/17

निदेशक प्रमू